



सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले कानून को बरकरार रखा

प्रलिस के लिये:

जल्लीकट्टू, सर्वोच्च न्यायालय, पशु क्रूरता नविवरण अधनियम, 1960, पोंगल ।

मेन्स के लिये:

जल्लीकट्टू के अभ्यास के पक्ष और वपिकष में तरक ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ के पारंपरिक साँडों को वश में करने वाले खेलों की अनुमति देने के लिये तमलिनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा [पशु क्रूरता नविवरण अधनियम, 1960](#) में कयि गए संशोधनों को बरकरार रखा है ।

- इस मामले में जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले तमलिनाडु संशोधन को चुनौती शामिल है, इस तरक के आधार पर कयिह जानवरों के प्रतिक्रूरता पर रोक लगाने वाले केंद्रीय कानून के खिलाफ है ।

न्यायालय का नरिणय क्या है?

- SC ने कहा कि [राज्य संशोधन \(पशुओं के प्रतिक्रूरता की रोकथाम \(तमलिनाडु संशोधन\) अधनियम 2017](#) और पशुओं के प्रतिक्रूरता की रोकथाम (जल्लीकट्टू का आयोजन) 2017 के नयिम) ने संवधान और सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के जल्लीकट्टू पर प्रतबिंध लगाने के नरिणय का उल्लंघन नहीं कयिा ।
 - न्यायालय ने कहा कि संशोधन अधनियम ने भाग लेने वाले जानवरों को "सामान्य चोट/दरद और क्रूरता" दी ।
 - नरिणय में कहा गया है कि जल्लीकट्टू पर 2017 का संशोधन अधनियम और नयिम संवधान की समवर्ती सूची की प्रवर्षि 17 (जानवरों के प्रतिक्रूरता की रोकथाम), अनुच्छेद 51A (G) (प्रेम करने वाले जीवों के प्रतदिता) के साथ समय पर है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने जानवरों के प्रतिक्रूरता के आधार पर **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज वाद** में मई 2014 में एक नरिणय के माध्यम से जल्लीकट्टू पर प्रतबिंध लगा दयिा ।
 - न्यायालय ने कहा कि अधनियम संवधान के अनुच्छेद 48 से भी "संबंधति" नहीं था, जो "कृषि और पशुपालन को व्यवस्थति करने" के लिये राज्य के कर्तव्य से संबंधति है ।
- यह भी कहा गया कि सांस्कृतिक परंपरा के नाम पर कानून का कोई भी उल्लंघन दंडनीय होगा ।
- न्यायालय ने नरिणय कयिा कि जल्लीकट्टू की सांस्कृतिक वरिसत की स्थतिकिा नरिधारण राज्य की वधानसभा के लिये बेहतर है, न कि कानून की न्यायालय में ।

जल्लीकट्टू क्या है?

- **परचिय:**
 - जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो तमलिनाडु में लोकप्रयि है ।
 - इस खेल में लोगों की भीड़ में एक जंगली साँड को छोड़ना शामिल है, और प्रतभागी साँड के कूबड़ को पकड़ने और यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने का प्रयास करते हैं या इसे नयित्रण में लाने का प्रयास करते हैं ।
 - यह जनवरी के महीने में तमलि फसल उत्सव, पोंगल के दौरान मनाया जाता है ।
- **अभ्यास के पक्ष में तरक:**

- जल्लिकट्टू को तमलिनाडु में एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम माना जाता है, जिसे लोगों द्वारा उनकी जाति या पंथ की परवाह किये बिना मनाया जाता है।
- राज्य सरकार का तर्क है कि सदियों पुरानी इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय, समाज की प्रगति के रूप में इसे वनियमिती और सुधारा जा सकता है।
- उनका मानना है कि जल्लिकट्टू पर रोक लगाने को समुदाय की संस्कृति और भावनाओं पर हमले के तौर पर देखा जाएगा।
- सरकार का दावा है कि जल्लिकट्टू पशुधन की एक मूल्यवान स्वदेशी नस्ल के संरक्षण में एक भूमिका निभाता है और यह आयोजन स्वयं करुणा और मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता है।
- वे इस बात पर जोर देते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिये जल्लिकट्टू के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये हाई स्कूल पाठ्यक्रम में जल्लिकट्टू के महत्त्व को पढ़ाया जा रहा है।

■ वपिक्ष में तर्क:

- यह तर्क दिया जाता है कि जानवरों सहित सभी जीवित प्राणियों में अंतरनिहित स्वतंत्रता है, जैसा कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- जल्लिकट्टू के परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न जिलों में मनुष्यों और साँड़ों दोनों की मौत तथा चोटें आई हैं।
- यह देखा गया है कि पालतू जानवर अक्सर साँड़ों के प्रति आक्रामक रूप से व्यवहार करते हैं, जिससे वे अत्यधिक क्रूरता का शिकार हो जाते हैं।
- आलोचकों ने जल्लिकट्टू की तुलना सती और दहेज जैसी प्रथाओं से की, जिनमें कभी संस्कृति का हिस्सा माना जाता था लेकिन कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था।

नोट: कंबाला दलदल और मट्टी से भरे धान के खेतों में एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है जो आमतौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक (उडुपी और दक्षिण कन्नड़) में होती है।

पशु क्रूरता नवियम, 1960

- इस अधिनियम का उद्देश्य 'पशुओं को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना' है, जिसके लिये अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना की गई थी।
- यह अधिनियम पशुओं और पशुओं के विभिन्न रूपों को परभाषित करने के साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग (experiment) से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- पहले अपराध के मामले में जुर्माना जो दस रुपए से कम नहीं होगा लेकिन यह पचास रुपए तक हो सकता है।
- यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- यह अधिनियम पशुओं की प्रदर्शनी और पशुओं का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान करता है।
- पछिले अपराध के तीन वर्ष के भीतर किये गए दूसरे या बाद के अपराध के मामले में जुर्माना पच्चीस रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन यह एक सौ रुपए तक हो सकता है या तीन महीने तक कारावास की सजा या दोनों हो सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2014)

1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत की गई है।
2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है।
3. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता नवियम, 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था। इसने गंगा नदी को भारत की 'राष्‍ट्रीय नदी' घोषित किया। यह तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) के अधीन कार्य करता है। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण, और प्रबंधन हेतु राष्‍ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- अतः विकल्प (b) सही है।

??????

प्र. धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिये क्या चुनौतियाँ हैं? (2019)

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-upholds-laws-allowing-jallikattu>

